न्यायालय अपील अधिकारण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या 14/2022

अपीलार्थीगण	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– रामसिंह पुत्र स्व. किशनसिंह 2– श्रीमती पुष्पाकंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत निवासी देवातड़ा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर		1– हनुमानसिंह पुत्र रामसिंह 2– रणवीरसिंह पुत्र रामसिंह 3– लक्ष्मणसिंह पुत्र रामसिंह 4– चैनसिंह पुत्र रामसिंह 5– रघुवीरसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी देवातड़ा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर हाल निवास हनुमानसिंह मेड़तीगेट के अंदर, उपरलाबास देवाड़ता हाउस, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी,) भोपालगढ द्वारा प्रकरण सं0 01/2022 रामसिंह बनाम हनुमानसिंह व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– अपीलार्थीयी स्वयं

2– प्रत्यर्थीपक्ष स्वयं।

आदेश दिनांक 04.04.2023

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) भोपालगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 बाबत् प्रार्थीगण को भरण पोषण के रूप में राशि 10,000/– रूपये व दवाईयों

लगातार....

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

के लिए 20000/– प्रतिमाह दिलाने विरूद्ध अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यथीगण के प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकरण ने सुनवाई कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए भरण पोषण के रूप में प्रत्यक अप्रार्थी/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रतिमाह 500/–रूपये, 500/–रूपये प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को देने का दिनांक 30.05.2022 को आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई।

अपील दर्ज (14/2022) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष 1 से 5 दिनांक 13.09.2022 को अजखुद उपस्थित हुए तथा प्रत्यर्थीपक्ष 1 से 4 की ओर से दिनांक 11.10.22 को जबाब व बहस प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 16.01.23 को लिखित बहस प्रस्तुत हुई, जो सामिल पत्रावली की गई।

अपीलार्थीपक्ष की ओर से बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पांच पुत्रों से भरण पोषण की मांग की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में अपीलार्थीगण को मात्र 500/– रूपये प्रतिमाह प्रत्येक पुत्र से अर्थात् प्रतिमाह कुल 2500/– रूपये भरण पोषण के अपीलार्थीगण को अदा करने का आदेश पारित किया गया। बहस में यह भी कहा कि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह अभिवचन किये गये थे कि प्रार्थीगण वृद्ध है एवं उनका आय का कोई जरिया नहीं है एवं ना ही वृद्धावस्था पेंशन आती है तथा दोनों वृद्ध होने से बीमार रहते है जिसकी दवाईयों एवं जांचों का काफी खर्चा आता है। अप्रार्थी संख्या–5 उनकी सेवा चाकरी करता है किन्तु बाकी अप्रार्थीगण ध्यान नहीं देते है एवं ना ही उनकी कोई सेवा चाकरी करते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को पुश्तैनी जायदाद में अपना अपना हिस्सा भी दे दिया है, इसके बावजूद वे प्रार्थीगण का ध्यान नहीं रखते है।

बहस में आगे कहा कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से भरण पोषण एवं दवाईयों के खर्च हेतु 30,000/– रूपये दिलवाने का अनुतोष की मांग की गई जिसके जबाब में अप्रार्थीगण सं0 1 से 4 ने मिथ्या रूप से अभिवचन किया गया कि प्रार्थीगण के पास खेती की जमीन है एवं काफी किराया आता है, इसके अलावा प्रार्थीगण के ईलाज हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम से कार्ड भी बनवा रखा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण के कथनानुसार आय होती हो। प्रार्थीगण ने जीवनभर अपनी मेहनत कर कमाई गई राशि के स्त्रोतों से जो आय हो रही है उससे बमुश्किल अपना गुजारा कर रहे है, किन्तु प्रार्थीगण की मेहनत की कमाई से हो रही आय के कारण अप्रार्थीगण किसी भी रूप से अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते है। प्रार्थीगण ने अपनी सभी सुख सुविधांए को ताक में रखकर बड़ी मेहनत से अपना दायित्व पूरा करते हुए अपने सभी पुत्रों पुत्री को अच्छा वढा लिखा कर बड़ा किया एवं उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। बहस मे यह भी कहा कि प्रार्थीगण काफी वृद्धावस्था में है एवं उनके द्वारा अब किसी प्रकार का कोई व्यवसाय कर अपना गुजर बसर

लगातार....

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

करना असभंव है। अप्रार्थी–2 द्वारा ईलाज हेतु कर्मचारी राज्य बीमा कर्मचारी निगम से स्वयं के लिये बनाये गये कोर्ड में प्रार्थी का नाम जुड़वाया है किन्तु अप्रार्थी–2 स्वयं प्रार्थीगण के साथ बहुत बुरा व्यवहार रखता है एवं प्रार्थीगण के साथ बातचीत भी नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रार्थीगण की उक्त कार्ड के माध्यम से ईलाज करवाने की बात सरासर मिथ्या हो जाती है। बहस में यह भी कहा कि प्रार्थीगण के पास जो खेत का हिस्सा था जिस पर प्रार्थीगण अपने कृषक के माध्यम से सावनू फसल की बुवाई करवाते थे उस कृषक को भी अप्रार्थीगण 1 से 4 द्वारा डरा घमका कर खड़ी फसल छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी मिथ्या कथन किया गया कि प्रार्थीगण के मकान किराये पर देने से अच्छी आय होती हो, जबकि वास्तव में ऐसा कोई मकान प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण सं0 1 से 4 प्रार्थीगण से भारी रंजिश रखते है एवं उन्हें अकारण ही परेशान करते रहते है एवं इसी कारण उनके द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध कृषि भूमियों के बाबत् वाद भी प्रस्तुत किया गया है। बहस में यह भी बतलाया कि अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में अपने अपने हिस्से की सम्पूर्ण राशि भी प्रार्थीगण के बैंक खाते में जमा नहीं करवाई गई है। बहस के अन्त में प्रत्येक अप्रार्थीगण से 5000/–, 5000/– रूपये प्रतिमाह दिलाने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थीगण 1 से 4 की ओर से जबाब व बहस में बतलाया कि अपीलांट स्वयं सक्षम व साधन सम्पन्न है। अपीलांट गांव के जागीरदार है तथा स्वयं के नाम कृषि भूमि है उसी आय से अपीलांटगण का भरण पोषण आसानी से हो जाता है। अपीलांटगण ने भरण पोषण प्रार्थना पत्र रेस्पो. को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। अपीलांटगण एवं रेस्पो.पक्ष काफी वर्षो से अलग रह रहे है तथा कृषि भूमि व अन्य आय से अपना स्वयं का भरण पोषण आज दिन तक स्वयं करते आ रहे है। बहस में यह भी बतलाया कि अपीलांटगण ने 2022 तक किसी भी सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही नहीं की जिसके संबंध में अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना पत्र व अपील में कोई कारण नहीं दर्शाया है।

बहस में आगे कहा कि अपीलांट की आयु 75 वर्ष है परन्तु पूर्णतया स्वस्थ है। अक्सर बिमार होना बताया है किन्तु किसी भी बीमारी का अपील या प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया गया। कृषि कार्य व अन्य आय इतनी है कि अपने पास रूपयों को गांव में लोगों को ब्याज पर देते है। अपीलांट स्वयं की खातेदारी भूमि जो पैतृक भूमि है उसमें से कोई हक व हिस्सा नहीं दे रहे है, इस कारण मजबूर होकर रेस्पो.पक्ष द्वारा अपीलांट के विरूद्ध कृषि भूमि का दावा करना पड़ा, उस दावे से नाराज होकर अपीलांट ने झूठे कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पो.पक्ष–5 अपीलांट की सारी कृषि भूमि का उपयोग करता है तथा अपीलांट से उनकी खातेदारी भूमि का बेचान कराकर अपनी पुत्रवधुओं के नाम बेचाननामे निष्पादित करा दिये। बहस में यह भी कहा कि अपीलांट स्वयं की जोधपुर में हवेली है वह किराये पर दे रखी है उसके किराये से प्रतिमाह 10000/–रूपये प्राप्त होते है तथा ग्राम देवातड़ा में मोबाईल व अन्य दूरसंचार के उपकरणों के टावर लगा हुआ है जिसका मासिक किराया 7000/– रूपये प्राप्त होते है। अपीलांटगण के पास बैंक में रकम जमा है एवं कई बैंकों में खाते

लगातार....

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

मियादी जमा व महावारी जमा की पालिसियां भी है। अपीलांट स्वयं के पास ट्रेक्टर है उससे जुताई करने पर आय प्राप्त होती है। बहस के अन्त में अपीलार्थीगण की अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थीगण की यह स्वीकारोक्ति है कि प्रत्यर्थीपक्ष संख्या–5 द्वारा उनकी सेवा चाकरी की जा रही है। अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश में प्रत्यर्थीपक्ष–5 की पुत्र वधुओं के पक्ष में भी अपीलार्थी द्वारा पैतृक भूमि से कुछ भूमि का बेचान करने से प्रत्यर्थीपक्ष 1 से 4 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पैतृक कृषि भूमि के स्वत्व को लेकर राजस्व वाद भी प्रस्तुत किया गया, जो विचाराधीन है। वर्तमान में अपीलार्थी के पास करीब 90 बीघा भूमि खातेदारी होना बताया गया। अधीनस्थ अधिकरण की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीपक्ष की आर्थिक स्थति अच्छी होते हुए समय समय पर उनके द्वारा दान–पुण्य भी करते है तथा बिना आर्थिक स्थिति अच्छी हुए दान पुण्य करना संभव भी नहीं है। अतः अपीलार्थी/प्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्येक प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थी द्वारा अपीलार्थीगण को भरण पोषण के रूप में प्रतिमाह 500/–, 500/– रूपये दिये जाने का आदेश दिया गया, उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है, परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ अधिकरण का अभिलेख पुनः प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 04.04.2023 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)